पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक [illegible] /अका./2011 रायपुर दिनांक [illegible] /08/2011

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपातिक बैठक कार्यवृत्त क्रमांक 4369/अका./2011 दिनांक 30 जुलाई, 2011 में टंकण त्रुटिवश 28.07.2011 के स्थान पर 28.07.2010 टंकित हो गया है। अतः 28.07.2010 के स्थान पर दिनांक 28.07.2011 पढ़ा जाए।

कुलसचिव

पृ. क्रमांक 4628/अका./2011 रायपुर दिनांक 25/08/2011

प्रतिलिपि :

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. समस्त विभागीय अधिकारी,
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त अधिकारी/अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप कुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक / 4369/अका / 2011 रायपुर, दिनांक   जुलाई, 2011

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपातिक बैठक गुरुवार, दिनांक 28.07.2010 [2011] को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1	डॉ.एस.के.पाण्डेय, कुलपति		अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.के. पति	--	सदस्य
3	प्रो. शैलेन्द्र कुमार सिंह	--	सदस्य
4.	डॉ. आर.बालासुब्रमन्यम	--	सदस्य
5.	डॉ. दीपक कारकून	--	सदस्य
6.	डॉ. अरविंद गिरोलकर		सदस्य
7	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	--	सदस्य
8.	श्री एस.के.चक्रवर्ती	--	सदस्य
9	श्री ललित सुरजन	--	सदस्य
10.	श्री अशोक लोहिया	--	सदस्य
11	डॉ. उज्जवल पाटनी	--	सदस्य
12.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	--	सदस्य
13	श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	--	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक--1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2011 एवं 27.07.2011 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2011 एवं 27.07.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्नानुसार निर्णय के साथ किया गया :

(i) विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2011 की विषयसूची क्रमांक--1 के निर्णय में त्रुटिवश उल्लेखित 'आंशिक' शब्द को विलोपित किया जावे।

(ii) विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2011 की विषयसूची क्रमांक--2 पूर्व संचालित महाविद्यालय--नवीन पाठ्यक्रम/अतिरिक्त अनुभाग स.क.--4 वंदे मातरम महाविद्यालय, गणेश चौक, पुराना नूतन स्कूल, धमतरी, जिला--धमतरी को बी.सी.ए.--I एवं पी जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित शर्तों के अनुसार पर्याप्त स्टॉफ नहीं होने के कारण अनुमति प्रदान नहीं किये जाने का उल्लेख किया जाय।

(iii) विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2011 की विषय सूची के बिंदु क्रमांक--3 में हुए निर्णय में निम्नलिखित अंश शामिल किया जाय-- "संबंधित महाविद्यालयों में बी.एड., एम.एड, के साथ-साथ अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं, अत

विश्वविद्यालय विनियम क्रमांक 129 की कंडिका 3.1.1 के अंतर्गत पांच एकड़ जमीन की अनिवार्यता होगी। अतः संबंधित महाविद्यालय द्वारा तीन माह के अंतर्गत निर्धारित जमीन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे।

(iv) विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के द्वारा सत्र 2011–12 के लिए नये विषय/सीट वृद्धि एवं नये महाविद्यालय (जिन्होंने सत्र 2011–12 से सम्बद्धता हेतु आवेदन किया है) के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया –

(a) विश्वविद्यालय विनियम क्रमांक–129 की कंडिका 3.1.1 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार निर्धारित जमीन पांच एकड़ जिन नये अशासकीय महाविद्यालयों (जिन्होंने आवेदन किया है) के पास है, उसे ही सम्बद्धता दी जावे।

(b) पूर्व संचालित महाविद्यालय जिन्होंने नये विषय/सीट वृद्धि के लिए आवेदन किया है, उसे विनियम क्रमांक 129 की कंडिका 3.1.1 के अनुसार पांच एकड़ जमीन होने पर ही नये विषय/सीट वृद्धि की अनुमति दी जावे।

(c) सभी अशासकीय महाविद्यालयों को विनियम क्रमांक 129 की कंडिका 3.1.1 के अंतर्गत पांच एकड़ जमीन की अनिवार्यता के लिए सूचित किया जावे कि वे पांच एकड़ जमीन उपलब्धता संबंधी दस्तावेज विश्वविद्यालय में तीन माह के अंतर्गत प्रस्तुत करें। जिन महाविद्यालयों द्वारा विनियम क्रमांक 129 की कंडिका 3.1.1 के अंतर्गत पांच एकड़ जमीन होने संबंधी दस्तावेज निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया जावेगा, उनकी अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि सत्र 2012–13 के लिए नहीं की जावेगी।

(d) सभी अशासकीय महाविद्यालय जिनके द्वारा अन्य पाठ्यक्रमों के साथ–साथ बी.एड., एम.एड. का पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, उन्हें भी विनियम क्रमांक 129 की कंडिका 3.1.1 के अनुसार पांच एकड़ जमीन की अनिवार्यता होगी। सभी महाविद्यालयों को तीन माह के अंदर पांच एकड़ जमीन उपलब्धता संबंधी दस्तावेज विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जावे। जिन महाविद्यालयों द्वारा पांच एकड़ जमीन होने संबंधी दस्तावेज निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया जावेगा, उनकी अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि 2012–13 के लिए नहीं की जावेगी।

(v) जिन अशासकीय महाविद्यालयों के निरीक्षण के पश्चात् की गई ग्रेडिंग में 50 या इससे अधिक अंक प्राप्त होने के पश्चात् भी आवश्यक स्टॉफ 75 प्रतिशत से कम है, उसे सूचित किया जावे कि वे तीन माह के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति करें।

विषय क्रमांक -2

शासकीय व्ही.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग को बायोटेक्नालॉजी विषय में शोध केन्द्र की मान्यता के संबंध में विनियम क्रमांक 107 की कंडिका 10 के प्रावधानानुसार शोध समिति दिनांक 16.06.2011 की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

शासकीय व्ही.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग को बायोटेक्नालॉजी विषय में शोध केन्द्र की मान्यता के संबंध में विनियम क्रमांक 107 की कंडिका 10 के प्रावधानानुसार स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.06.2011 की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-3

दिशा कालेज, शांतिनगर, रायपुर के स्थानांतरण की सूचना ग्रहण करना एवं दिशा कालेज आफ साइंस एंड कामर्स रामनगर कोटा रोड, रायपुर को बंद किये जाने पर विचार करना।

निर्णय :

राज्य शासन से प्राप्त आदेश के अनुपालन में दिशा कालेज, शांतिनगर, रायपुर के स्थानांतरण की सूचना ग्रहण की गई। दिशा कालेज आफ साइंस एण्ड कामर्स, रामनगर, कोटा, रायपुर को बंद किये जाने की सूचना ग्रहण की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय बंद होने के पश्चात् वहां के छात्रों एवं शैक्षणिक/गैरशैक्षणिक कर्मचारियों की असुविधा के संबंध में सभी दायित्व संबंधित मैजेनमेंट/कालेज प्रशासन का होगा।

अध्यक्ष की अनुमति से .....

(1) प्राचार्यों की चयन समिति से संबंधित निम्नलिखित महाविद्यालयों के सीलबंद लिफाफे खोले गये--

(i) सेंट विंसेंट पैलोटी कालेज, कांपा, रायपुर में प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ.एंथोनी गुलिपिली के नाम का अनुमोदन किया गया।

(ii) गुरुकुल इंस्टीट्यूटर केशोडार रोड, गरियाबंद में प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. अल्पना वर्मा के नाम का अनुमोदन किया गया।

(iii) अवीवा इंफोटेक कॉलेज बैरनबाजार, रायपुर में प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. सविता चन्द्राकर के नाम का अनुमोदन किया गया।

(iv) नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल कालेज, खरोरा, जिला--रायपुर के प्राचार्य पद के लिए किसी भी उम्मीदवार के उपस्थित नहीं होने के कारण पुनः विज्ञापन प्रसारित करने का निर्णय लिया गया।

(2) अशासकीय महाविद्यालयों के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से अनुमोदन कराकर जारी किया जाय, जिसकी प्रति संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद को भी दी जाय, ताकि विश्वविद्यालय के वेबसाइट में विज्ञापन शामिल किया जा सके।

(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत नियमित गतिविधि कार्यक्रम वर्ष 2011--12 हेतु संबंधित महाविद्यालयों एवं विद्यालयों को प्रदान किये जाने वाली अग्रिम राशि रुपये 33,99,887/-- (रुपये तैंतीस लाख निन्यानवे हजार आठ सौ सत्यासी मात्र) के भुगतान हेतु अनुमोदन किया गया।

विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति की 18वीं बैठक में महामहिम कुलाधिपति द्वारा दिए गए उद्‌बोधन की प्रति कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को उपलब्ध करायी गई। सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया गया कि महामहिम द्वारा रेखांकित अपेक्षाओं के अनुरूप , पूर्ति की समन्वित प्रयास किये जाएं।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

(डॉ.एस.के.पाण्डेय)
अध्यक्ष

(के.के.चन्द्राकर)
सचिव

पृ. क्रमांक 4370/अका./का.प./2011 रायपुर, दिनांक 30/07/2011

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)